



सत्यमेव जयते

Special Post

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-822/DL/38/2023-SSW

दिनांक: 29.03.2023


Prof. Girish Nath Jha
Chairman
Commission for Scientific and Technical Terminology
Ministry of Education, (Department of Higher Education)
West Block-VII, R. K. Puram
नई दिल्ली -110066 (दिल्ली)
ई मेल: chairman-cstt@gov.in

श्री के संजय मूर्ति
सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग,
127-सी, शास्त्री भवन
नई दिल्ली -110001 (दिल्ली)
ई मेल: secy.dhe@nic.in , Phone:- 23386451/23382698

विषय: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को तृतीय एम.ए.सी.पी का लाभ तथा पदोन्नति से वंचित करने के संबंध में - श्री मोहन लाल मीणा, सहायक निदेशक, दिल्ली का दिनांक 30.12.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री मोहन लाल मीणा से दिनांक 30.12.2022 में एक याचिकाये प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।


(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

- श्री मोहन लाल मीणा,
डी.ए-109-एफ,
हरी नगर, नई दिल्ली-110064
मो नं. 9868018464

2. NIC, NCST (please upload on the website of the Commission)